दिनाक 20.12.2020
प्रेस विज्ञप्ति–20 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/थाना कूरेभार

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **18,000 रू0 नगद व 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 20.12.2020 को थाना कूरेभार, थाना हलियापुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जग्गी बाबा पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान घायल अवस्था में अभियुक्त रमजान अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 18,000 रू0 नगद व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में थाना कूरेभार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमजान अली निवासी रामनगर पो0 बेली, थाना सोनावा बस्ती।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–18,000 रू0 नगद।

3–01 मोटरसाइकिल।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **16,000 रू0 नगद व 09 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 20.12.2020 को थाना परसरामपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर पुलिया से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी रणजीत उर्फ सेखा उर्फ पहलवान व एक अन्य अपराधी दीपू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 16,000 रू0 नगद व 09 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रणजीत उर्फ सेखा उर्फ पहलवान नि0 ग्राम उसरापार थाना महुली संतकबीरनगर।

2—दीपू निवासी भैरवपुर थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

2—16,000 रू0 नगद।

3—09 मोबाइल फोन।

जनपद गोरखपुर/शाहपुर

- **दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 24,100 रू0 नगद**
- **चोरी की 01 सोने की अंगूठी, सोने के 03 लॉकेट, चॉदी की 04 जोड़ी पायल, चॉदी के 05 बिछुवा बरामद**

दिनांक 20.12.2020 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चरगांवा चौराहा के पास से दो अभियुक्तों 1—गोलू उर्फ गोपाल 2—मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 24,100 रू0 नगद, चोरी की 01 सोने की अंगूठी, सोने के 03 लॉकेट, चॉदी की 04 जोड़ी पायल, चॉदी के 05 बिछुवा बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल थाना शाहपुर पर पंजीकृत कई चोरी की घटनाओं से संबंधित है।

इस संबंध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोलू उर्फ गोपाल निवासी झुंगिया बाजार टोला मुण्डेरवा थाना चिलुआताल गोरखपुर।

2—मुकेश कुमारनिवासी बेलो थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 24,100 रू0 नगद।

2—चोरी की 01 सोने की अंगूठी, सोने के 03 लॉकेट।

3—चॉदी की 04 जोड़ी पायल, चॉदी के 05 बिछुवा।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 19.12.2020 को थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गंगनहर पटरी के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश परवेज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–परवेज निवासी ग्राम भैंसरहेडी थाना छपार मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोटरसाइकिल।

जनपद बदायूं/थाना उसहैत

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, दो बैरल 02 रायफल 315 बोर, 01 बैरल पौनिया रायफल 315 बोर**
- **14 बैरल तमंचा 315 बोर, 04 बाडी पौनिया, 02 बाडी रायफल**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद**

दिनांक 19.12.2020 को थाना उसहैत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम ठकुरी नंगला में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो अभियुक्तों 1—अनूप कुमार 2—अनार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, दो बैरल 02 रायफल 315 बोर, 01 बैरल पौनिया रायफल 315 बोर, 14 बैरल तमंचा 315 बोर, 04 बाडी पौनिया, 02 बाडी रायफल व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुये।

इस संबंध में थाना उसहैत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनूप कुमार निवासी बनिया ठैरा थाना जैथरा जनपद एटा।

2—अनार निवासी रूस्तमपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, दो बैरल 02 रायफल 315 बोर, 01 बैरल पौनिया रायफल 315 बोर

2—14 बैरल तमंचा 315 बोर, 04 बाडी पौनिया, 02 बाडी रायफल

3—शस्त्र बनाने के उपकरण।

जनपद देवरिया/थाना रामपुर कारखाना

- **चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 105 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 बोलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 20.12.2020 को थाना रामपुर कारखाना व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटनवा पुल के पास से चार अभियुक्तों 1–जयलाल 2–लक्ष्मण व दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 105 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 बोलेरो वाहन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयलाल निवासी परोरही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर।

2–लक्ष्मण निवासी अमवां नकछेद थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार।

3–दो अभियुक्ता

बरामदगी

1–10 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 105 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–एक बोलेरो वाहन।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय गौ–तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 28 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई

दिनॉकः 19–12–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय गौ–तस्करी करने वाले करने वाले अभियुक्त सलमान व मोजा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 28 राशि गोवंशीय (27 अदद बैल व एक अदद गाय) तथा तस्करी में प्रयुक्त एक अदद ट्रक कन्टेनर बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– सलमान पुत्र नफीस निवासी व थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर।

2– मोजा बंजारा पुत्र सलीम बंजारा निवासी–हैमफलटाडा थाना मैगलगंज, जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगीः

1– 28 अद्द गोवंशीय (27 बैल 01 गाय)

2– 03 अदद मोबाइल फोन

3– 1360 रूपया नगद

4– एक अद्द ट्रक कन्टेनर यू0पी0 12 एटी 7040

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हो रही थी कि उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों से गोरखपुर कुशीनगर के रास्ते बिहार प्रदेश तक गोवंशीय पशुओं की व्यापक मात्रा में तस्करी होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाइयों एवं टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशि किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर को अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि इश्तखार नाम का गौ–तस्कर जनपद लखनऊ में कहीं किराये का मकान लेकर गौ–तस्करी के पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है व गोव”ाों के ट्रकों का लखनऊ से बिहार तक सुरक्षित पहुचाने के लिये वह स्वयं अथवा अपने गिरोह के सदस्यों से ट्रक में या उसके आगे पीछे अन्य वाहन से चलते हुये बिहार तक जाता है। उक्त गिरोह के सदस्यों पर कार्यवाही हेतु मुखबिर मामूर किये गये। दिनांक 19.12.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड ईकाई गोरखपुर कार्यालय में मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोवंशीय पशुओं से लदी हुई एक ट्रक लखनऊ से चलकर गोरखपुर से कुशीनगर होते हुये कटने के लिये बिहार ले जाइ जा रही है। इस सूचना पर निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सूरजनाथ सिंह, उ0नि0 आलोक कुमार राय, हे0कां0 यशंवत सिंह, विनय कुमार सिंह, एवं अन्य पुलिस बल के साथ पुलिस चौकी जगदीशपुर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर तत्काल मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचे तो कुछ देर बार एक ट्रक गोरखपुर से कुशीनगर की ओर आता हुआ दिखाई

दिया, जिसे देखकर मुखबिर खास ने इशारें से बताया कि यही गोवंश से लदी ट्रक है। मुखबिर की निशादेही पर ट्रक कन्टेनर को रोकने का प्रयास किया गया, जिसपर कन्टेनर चालक ने कन्टेर पुलिस की तरफ भगाकर भागने का प्रयास किया गया, जिसपर पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी वाहनो से ट्रक का पीछा किया, कोनी तिराहे के पास अन्य वाहनो के सामने पड़ जाने के कारण ट्रक आगे नहीं बढ सका तब तक सरकारी वाहनों से सरकारी वाहनों को ट्रक के आगे खडा कर ट्रक को सडक के किनारे लगवाकर एवं आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपरोक्त गोवंशीय पशुओं की बरामदगी की गयी।

पकड़े गये अभियुक्तों से अलग–2 एव एक साथ पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग इश्तेखार के लिये काम करते हैं। इश्तेखार ने ही इस ट्रक पर लखनऊ से गोवंश पशुओं को लदवाया था। अनवर निवासी कचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया हम लोगों से हाटा के आस पास सर्म्पक करके और हम लोग इस गोवंशीय पशुओं से लदी ट्रक को इश्तेखार के कहने के अनुसार अनवर के साथ बिहार प्रदेश के गोपालगंज में करबला के पास पहुचाना था। रास्ते में पड़ने वाले चेक पोस्टो पर किसी ना किसी माध्यम से सेटिंग कर ट्रक को आगे बढाते रहते है। सेटिंग न होने की दशा में यदि कोई पुलिस वाला ट्रक को रोकने का प्रयास करता है तो पुलिस वालों पर ट्रक चढाकर भागने का प्रयास करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली खोराबार जनपद गोरखपुर पर दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0–832/2020 धारा–307 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। गोवंशीय पशुओं का उचित निस्तारण हेतु कान्हा उपवन फलमण्डी गोरखपुर कों चौकी प्रभारी द्वारा सुपुर्द किया गया।